निर्णय बइजलास श्री अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्याः–28 / 2020 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांकः– 12 / 02 / 2020
निर्णय दिनांकः– 24 / 12 / 2024

अनवान

1. किसनसिंह दत्तक पुत्र रणसिंह जाति राजपूत निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़

प्रार्थी

बनाम

1. वरदीचन्द पिता मूलाराम जाति कुम्हार निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़
2. लहरू पिता मिठू जाति कुम्हार निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़
3. लहरीलाल पिता चतरा जाति कुम्हार निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़
4. बंशीलाल पिता भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़
5. शंकरलाल पिता भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़
6. सोनी पत्नि भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़
7. मांगीलाल पिता दौला जाति गुर्जर निवासी कुआंथल तहसील देवगढ
8. देवीलाल पिता दौला जाति गुर्जर निवासी कुआंथल तहसील देवगढ
9. मीठू पिता उदा जाति कुम्हार निवासी कुआंथल तहसील देवगढ
10. गणेश पिता उदा जाति कुम्हार निवासी कुआंथल तहसील देवगढ **फौत**
11. रूपी बेवा उदा जाति कुम्हार निवासी कुआंथल तहसील देवगढ

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थी

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

की स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि राजस्व ग्राम कुंआथल आराजी नम्बर 601 रकबा 2 बीघा भूमि पटवार हल्का कुंआथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित है। प्रार्थी को अपने घर से अपनी कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु टैक्ट्रर वगैराह आने जाने में विपक्षीगणों की ग्राम कुआंथल में स्थित खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 501 रकबा 0.10 विस्वा, आराजी नम्बर 507 रकबा 0.03 विस्वा, आराजी नम्बर 511 रकबा 0.19 विस्वा, आराजी नम्बर 516 1.10 बीघा, आराजी नम्बर 517 रकबा 1.02 बीघा, आराजी नम्बर 518 रकबा 1.07 बीघा आराजी नम्बर 519 रकबा 0.15 विस्वा आराजी नम्बर 605/1 रकबा 2 बीघा में से में आने जाने हेतु कोई रास्ता रेकार्ड में दर्ज नहीं है। मौके पर रास्ता बना हुआ होकर कृषि कार्य संचालन हेतु उपयोग कर रहा हूं परन्तु राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी कलम संख्या 02 में वर्णित आराजीयात में से होकर प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि में कृषि कार्य व अन्य कार्य हेतु रास्ते का उपयोग कर रहा हूं। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिए कलम संख्या 02 में वर्णित आराजीयात में से 15 फिट चौड़ा रास्ता हेतु टैक्ट्रर वगैराह लेकर आना जाना होता रहता है जिससे प्रार्थी इसमें स्थायी रास्ता राजस्व नक्शें में करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अप्राथीगणों की खातेदारी भूमियों से 15 फिट चौडा रास्ता का जो क्षैत्रफल बनता है उस पर नियमानुसार शुल्क जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी को ग्राम कुंआथल की खातेदारी भूमि उपरोक्त आराजी नम्बर 501 रकबा 0.10 विस्वा, आराजी नम्बर 507 रकबा 0.03 विस्वा, आराजी नम्बर 511 रकबा 0.19 विस्वा, आराजी नम्बर 516 रकबा 1.10 बीघा, आराजी नम्बर 517 रकबा 1.02 बीघा, आराजी नम्बर 518 रकबा 1.07 बीघा, आराजी नम्बर 519 रकबा 0.15 विस्वा, आराजी नम्बर 605/1 रकबा 2.00 बीघा में होकर खातेदारी भूमि में आने व जाने के लिए रास्ता का उपयोग करता आ रहा है। परन्तु कभी कभी खातेदारों द्वारा मेरे रास्ते मे उपयोग में बाधा उत्पन्न कर देते है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित आराजी नम्बर में से 15 फिट चौडा रास्ते

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

का जो क्षैत्रफल बनता है उसका नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है रास्ता दिलवाने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

इस पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई अप्रार्थीगण को जरिये समन्न तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 4, 5, 9, 10 ने रास्ता प्रदान किए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 6, 8 द्वारा बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 07 की ओर से अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत पेश नहीं किया गया। अतः अप्रार्थी संख्या 07 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 11 की मृत्यु हो वारिसान अप्रार्थी संख्या 09, 10 पक्षकारान के रूप में पत्रावली पर होने से प्रकरण में कार्यवाही अबेट हो चुकी है। तहसीलदार देवगढ़ से मौका रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार प्रार्थी के खेत पर जाने के लिए मांगा गया रास्ता नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए में प्रतिपादित है किः– [251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a)a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b)a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement,

सहायक कलेक्टर, देवगढ़, जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted. (2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records. (3) The persons permitted to avail any of the facilities referred

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.]

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251—ए का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अपनी सहखातेदारी आराजी संख्या 601 में जाने हेतु पड़ोसी खातेदारों के नाम दर्ज आराजी नम्बर 2197, 2199, 2200, 2201, 2202, 2212, 2216, 2215, 2227 में से होकर रास्ता जाता है एवं नक्शे में 15 फीट चौड़ा 0.1492 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ते का विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र.स.	आराजी संख्या	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	प्रस्तावित रकबा(रास्ते हेतु हैक्टेयर में)
1.	2197	0.5700	0.0440
2.	2199	0.3200	0.0135
3.	2200	0.2400	0.0100
4.	2201	0.2900	0.0090
5.	2202	0.1600	0.0270
6.	2212	0.1100	0.0144
7.	2216	0.0900	0.0108
8.	2215	0.0400	0.0090
9.	2227	0.3800	0.0118
	कूल भूमि प्रस्तावित रास्ता हेतु 0.1492 हैक्टर		

तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा प्रस्तावित रास्ते की राशि की गणना कर रिपोर्ट तहसीलदार, देवगढ़ की रिपोर्ट के साथ पेश की गई जो निम्नानुसार है—

कम संख्या	खाता संख्या	खातेदार का नाम	D.L.C. की दुगुना राशि	रास्ते में आने वाली भूमि का रकबा
01	351	मांगीलाल/दोला गुर्जर	77619	0.1035

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

02	351	देवीलाल/दोला गुर्जर	77619	
03	351	बंशीलाल/भंवरलाल	25873	
04	351	शंकरलाल/भंवरलाल	25873	
05	351	सोनी/भंवरलाल	25873	
06	298	वरदीचंद/मूला कुम्हार	32397	0.0144
07	435	मिठु/उदा कुम्हार	12149	0.0108
08	435	गणेश/उदा कुम्हार	12149	
09	522	लहरू/मिठु	10124	0.0090
10	522	लहरीलाल/चतरा कुम्हार	10124	
11	635	बंशीलाल/भंवरलाल	2950	0.0118
12	635	शंकरलाल/भंवरलाल	2950	
13	635	सोनी पत्नि भंवरलाल	2950	
14	635	देवीलाल/दौला	8849	
15	635	मांगीलाल/दौला	7104	
16	635	मोहनलाल/भूरा	1745	
		योग	336348	0.1495

तहसीलदार देवगढ़ द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रिपोर्ट अनुसार रास्ता प्रदान करने के आदेश दिये जाते हैं कि रिकॉर्ड में नियमानुसार रास्ता दर्ज किया जावे। पटवार हल्का द्वारा पेश नक्शा ट्रेस निर्णय का हिस्सा रहेगा। पालना हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द